



राजस्थान सरकार  
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.3(6)अल्प.वक्फ/2017/RK/00428


जयपुर दिनांक 06 अप्रैल, 2018

—: आज्ञा :-

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश "मदरसों का पंजीयन एवं क्रमोन्नत नीति" क्रमांक F-Registration/RMB/2013/4069 दिनांक 10.10.2014 के बिन्दु संख्या 2 व 3 में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित "ए" श्रेणी के मदरसों की परिभाषा को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :-


1. ऐसे मदरसे जिनके पास भूमि के मालिकाना हक के संबंध में पंजीकृत भूमि पट्टा/रजिस्ट्री/ रजिस्टर्ड बरख्शीशनामा/ इकरारनामा/ मुख्त्यारनामा है।
2. ऐसे मदरसे जिनके पास अपंजीकृत पट्टा है उन्हें इस शर्त पर कटेगरी "ए" में पंजीकृत किया जायेगा कि 3 माह में तहसीलदार/उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. वक्फ सम्पत्ति में संचालित मदरसे।

यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

  
(श्रेया गुहा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, (पी.सी), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला .....
8. सहायक निदेशक-III, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(प्रतिभा पारीक)  
संयुक्त शासन सचिव